

28/11/22

प्रावली पेश डडी, कबीलवारी व एक
 वाडी उपस्थित। प्रकरण में वाडी व कबील
 वाडी ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि
 प्रकरण वाडी वाडपड में अब आगे कोई
 कार्यवाही नहीं चालने से वाडपड को इसी
 स्तर पर समाप्त किया जाने का निवेदन किया
 प्रकरण में वाडपड का अवलोकन किया गया
 प्रकरण में वाडी अब आगे कोई कार्यवाही
 नहीं चालने से वाडी का वाडपड को इसी
 स्तर पर खरीज किया जाता है एवं साथ
 ही आदेश दिया जाता है कि प्रकरण के प्रा
 प 268/2017 हाल उपखंड कार्यालय कोडा
 व उपखंड कार्यालय माण्डल के प्रकरण सं.
 535/2016 का आदेशिका दिनांक 9/10/2018
 को पूर्व जारी एकपक्षीय अन्तर्गत निवेदन को
 दिनांक 9/10/2018 मूल वाड के निराकरण तक
 कर्म किया गया था जिसे आग दिनांक
 28/11/2022 को वाडी के वाडपड में वाडी द्वारा
 कोई कार्यवाही नहीं चालने से वाडपड को
 खरीज किया जिनसे वाडपड का स्तर निरक्षण
 हो जाते हैं मूल वाड के प्राप में प्रक
 उपखंड कार्यालय माण्डल 535/2017 व हाल मूल
 उपखंड कार्यालय कोडा के प्राप में अक्षर को पूर्व
 जारी स्वगत आदेश भी मूल वाड के निराकरण
 हो जाते हैं ब्याह निवेदन को भी स्तर
 निरक्षर माता जाय (प्रावली) फिलम अन्तर्गत एक डडी
 मन्त्र से कम है।

कल 21
 [Signature]

उपखंड अधिकारी पदेन
 सहायक कलेक्टर कोडा